रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 438] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 1998/ कार्तिक 20, 1920

No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1998/KARTIKA 20, 1920

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1998

सा.का.नि. 668(अ).—प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 6 के खंड (क) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) विनियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "अधिनियम" से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) अभिप्रेत है।

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है।

(ग) किसी कंपनी के संबंध में "निदेशक बोर्ड" से कंपनी के निदेशकों का बोर्ड अभिप्रेत है।

(घ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

(ङ) "निदेशक" निदेशक के स्तर का कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वह किसी भी पदनाम से सम्बोधित हो।

(च) "समादत्त पूंजी" या "पूंजी समादत्त" के अन्तर्गत समादत्त रूप में जमा की पूंजी भी है।

(छ) "शेयर" से कंपनी की शेयर पूंजी अभिप्रेत है, तथा इसमें स्टाक भी है, उसको छोड़कर जहां स्टाक तथा शेयर के बीच में भेद अभिव्यक्त या अन्तर्निहित किया गया है।

(ज) उन सभी शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु अधिनियम या अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32) में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए दिए गए हैं।

3. इक्विटी सहभागिता

(1) बोर्ड, किसी औद्योगिक समुत्थान को, जो कंपनी है, उसके प्रारंभ पर खोलने और/या उसके विकास चरणों में, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार तथा औद्योगिक समुत्थान के ऋण साम्या अनुपात को ध्यान में रखते हुए साम्या पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता का प्रदान कर सकता है।

(2) बोर्ड किसी कंपनी के साम्या शेयर में कामकाज पूंजी के लिए अतिरिक्त राशि सहित परियोजना लागत का 25 प्रतिशत निवेश कर सकता है परन्तु इस प्रकार का निवेश संप्रवर्तकों द्वारा समाश्रित पूंजी से अधिक न हो।

(3) बोर्ड कंपनी के आवेदन की जांच करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच-पड़ताल करने के बाद जो वह ठीक समझे लिखित आदेश द्वारा या तो साम्या सहभागिता का अनुमोदन करेगा अथवा इसका अनुमोदन करने से इंकार करेगा।

4. पूर्व-अंशदान शर्तें

(1) संप्रवर्तकों को अंशदान तथा कंपनी में शेयर पूंजी का उनका हिस्सा पूरी तरह से संदत्त करना चाहिए।

(2) कंपनी के संप्रर्वतक कंपनी में बोर्ड द्वारा साम्या अंशदान के बराबर मूल्य का शेयर बोर्ड के पास गिरवी रखेंगे।

(3) कंपनी के संप्रवर्तक, निदेशक और शेयरधारी परियोजना की अतिरिक्त लागत या परियोजना के निधियन में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए तथा कामकाज पूंजी के लिए, जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड द्वारा स्वीकार्य निबंधनों और शर्तों पर अतिरिक्त शेयर पूंजी/प्रतिभूति रहित ऋण तथा/अथवा जमा के रूप में निधि लाने के लिए वचनबद्ध करेंगे।

(4) उपरोक्त (3) में निर्दिष्ट संप्रवर्तक, निदेशक और शेयरधारी यह वचनबद्ध करेंगे कि जब तक बोर्ड का कंपनी में शेयरधारण है, व बोर्ड की पूर्व में लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त (3) के अनुसार उनके द्वारा लाए गए प्रतिभूति रहित ऋण (णों) और जमा को कंपनी से वापिस नहीं लेंगे।

(5) परियोजना लागत में वृद्धि होने अथवा वित्त के साधनों में कमी आने अथवा कंपनी द्वारा नकद/हानि उपगत करने की दशा में बोर्ड इस प्रकार की लागत वृद्धि, कमी, नकद हानियों के संबंध में वित्त प्रबंधन के लिए दायी नहीं होगा और न ही बोर्ड इस प्रयोजन के लिए किसी अतिरिक्त पूंजी का अंशदान करेगा। यदि परियोजना के लिए वित्त अथवा अन्य सहायता उपलब्ध कराने वाला कोई वित्तीय संस्थान यह अनुबंध करता है कि कंपनी के संप्रवर्तकों द्वारा कोई प्रतिभूतियां दी जाएंगी/वचनबंध किए जाएंगे तो बोर्ड इस प्रकार की कोई प्रत्याभूति, जिसके अन्तर्गत प्रत्याभूति भी है, देने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(6) बोर्ड, कंपनी के संप्रवर्तकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करें, कंपनी की पूंजी में किए गए या किए जाने वाले शेयरों के किसी अन्तरण को मान्यता नहीं देगा या रजिस्टर नहीं करेगा। कंपनी अनुबंधों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, उचित वचनबंध लेगा और उन्हें बोर्ड को भेजेगा।

5. शेयर प्रमाण-पत्रों का जारी करना

(1) कंपनी, बोर्ड को अपने शेयर प्रमाणपत्र सममूल्य पर जारी करेगी जो कि बोर्ड द्वारा साम्या पूंजी के रूप में किए गए अंशदान की राशि के बराबर होगा। ऐसे जारी किए जाने पर कंपनी द्वारा किसी प्रकार की दलाली नहीं ली जाएगी।

6. अंशदान राशि का उपयोग

(1) कंपनी, बोर्ड की इस अंशदान की रकम को केवल परियोजना के लिए उदिष्ट करेगी तथा यह प्रसंविदा करेगी कि अंशदान की रकम से उपार्जित पूंजीमाल तथा सेवाओं का उपयोग अनन्य रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ही किया जाएगा।

7. नामनिर्देशिती निदेशक

(1) बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर कंपनी के निदेशक बोर्ड में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को बोर्ड का निदेशक अथवा बोर्ड के निदेशकों के रूप में नाम निर्देशित करे, ऐसे निदेशक (निदेशकों) को इसमें इसके पश्चात् ''नामनिर्देशिती निदेशक'' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) नामनिर्देशिती निदेशक(कों) को अर्हता शेयर रखना अपेक्षित नहीं होगा तथा वह (वे) चक्रानुक्रम द्वारा सेवा-निवृत्त होने के दायित्वाधीन नहीं होंगे।

(3) नामनिर्देशिती निदेशक अन्य निदेशक (निदेशकों) को संदेय बैठक फीस तथा खर्चों सहित अन्य निदेशक (निदेशकों) के सभी अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा (होंगे) किन्तु यदि निदेशक (निदेशकों) को किसी भी रूप में कोई फीस, दलाली, धनराशि अथवा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो ऐसे नामनिर्देशिती निदेशकों से संबंधित फीस, दलाली, धनराशि अथवा पारिश्रमिक बोर्ड को संदेय होगा तथा वह तदनुसार कंपनी द्वारा सीधे बोर्ड को संदाय किया जाएगा। बोर्ड अथवा नामनिर्देशिती निदेशक (निर्देशकों) द्वारा उसकी (उनकी) नियुक्ति अथवा निदेशक पद के संबंध में उपगत किया गया कोई खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) यदि किसी समय नामनिर्देशित निदेशक, निदेशक बोर्ड की बैठक में अथवा इसकी किसी समिति की जिसका कि वह सदस्य हो, बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहता हो तो बोर्ड एक प्रेक्षक को बैठक में उपस्थित होने के लिए तैनात कर सकता है। इस संबंध में प्रेक्षक द्वारा उपगत किया गया खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

8. बोर्ड द्वारा विनिधान न करना

(1) कंपनी अपने साम्या शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों)/अथवा ओवर द काउन्टर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओ०टी०सी०ई०आई०) में सूचीबद्ध कराएगी।

(2) बोर्ड, अपने विवेकानुसार, कंपनी द्वारा परियोजना के पूर्ण होने के तीन वर्ष के पश्चात् या अंशदान की तारीख से पांच वर्ष के पश्चात् कंपनी में अपने शेयर अंशों का विनिधान नहीं कर सकता है।

(3) यदि शेयर, सूचीबद्ध हैं तो बोर्ड अपने शेयरों का बाजार मूल्य पर निपटान करेगा।

(4) यदि शेयर सूचीबद्ध न हों तो वह मूल्य, जिस पर बोर्ड द्वारा शेयरों का निपटान किया जाए, सामान्यत: 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के न्यूनतम लाभ को आधार मान कर या शेयर के शुद्ध आस्ति मूल्य के आधार पर, जैसा बोर्ड द्वारा व्यवहार्य समझा जाए, निकाला जाएगा।

(5) बोर्ड के शेयरों का क्रय द्वारा वापस लेने का प्रथम विकल्प कंपनी के संप्रवर्तकों को दिया जाएगा।

9. संविदात्मक औपचारिकता

(1) बोर्ड द्वारा साम्या सहभागिता के प्रत्येक मामले में संबद्ध कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह विभिन्न निबंधों और शर्तों को अनुबंधित करते हुए जिसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत किया जाना भी है बोर्ड के साथ एक औपचारिक करार करे।

[फा. सं. टी डी बी/एडम-1(7)(21)98-99]

डा. पवन सिक्का, संयुक्त सलाहकार

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1998

G.S.R. [illegible](E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 22 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), read with clause (a) of section 6, the Technology Development Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement :**

(1) These regulations may be called the Technology Development Board (equity capital) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :**

In these regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995);

(b) "Board" means the Technology Development Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act ;

(c) "Board of directors", in relation to a company, means the Board of directors of the company ;

(d) "Company" means a company as defined in section 3 of the Companies Act 1956 (1 of 1956) ;

(e) "Director" includes any person occupying the position of director, by whatever name called ;

(f) "Paid-up capital" or "capital paid-up" includes capital credited as paid-up ;

(g) "Share" means share in the share capital of a company, and includes stock except where a distinction between stock and shares is expressed or implied ;

(h) All other words and expressions used in these regulations, but defined in the Act or the Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. **Equity participation :**

(1) The Board may provide financial assistance by way of equity capital to an industrial concern, being a company, on its commencement, start-up and/or growth stages according to the requirements as assessed by the Board and keeping in view the debt-equity ratio of the industrial concern.

(2) The Board may invest in equity shares of a company upto 25 per cent of the project cost, including margin money for working capital, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters.

(3) The Board may, after examining the application of the company and after making such enquiries as it deems necessary by order in writing, either approve the equity participation or refuse to approve the same.

4. **Pre-subscription conditions :**

(1) The promoters should have subscribed and fully paid up their portion of the share capital in the company.

(2) The promoters of the company shall pledge shares to the Board of a value equal to the equity subscription by the Board in the company.

(3) The promoters, directors and shareholders of the company, shall undertake to bring in funds in the form of additional share capital/unsecured loans and/or deposits, if and when required, to cover any cost overrun of the project or any shortfall that may arise in financing the project and for working capital on terms and conditions acceptable to the Board.

(4) The promoters, directors and shareholders referred to (3) above shall undertake not to withdraw from the company any unsecured loan(s) and deposits brought by them as per (iii) above without prior written approval of the Board as long as the Board holds shares in the company.

(5) In the event of any overrun in the cost of the project or shortfall in the means of finance or in case the company incurs any cash losses, the Board shall not be liable to finance any such overruns, shortfalls, cash losses; nor shall the Board subscribe to any additional capital for this purpose. If the financial institutions providing financial or other assistance for the project, stipulate that any guarantees/undertakings be furnished by the promoters of the company, the Board shall not be liable to provide any such guarantee including 'no default guarantee' or undertaking.

(6) The company shall not recognise or register any transfer of shares in the company's capital made or to be made by the promoters and such other persons as may be specified by the Board. The company shall obtain and furnish to the Board suitable undertakings from such persons as may be specified by the Board for giving effect to the stipulations.

5. **Issue of share certificates :**

(1) The company shall issue, at par, its share certificates to the Board, equivalent to the amount subscribed, by way of equity capital, by the Board. No brokerage shall be charged by the company on such issue.

6. **Utilisation of subscription amount :**

(1) The company shall earmark this subscription amount of the Board solely for the project and covenants that the capital goods and services acquired from the subscription amount shall be used exclusively for implementing the project.

7. **Nominee directors :**

(1) The Board shall have the right to nominate, from time to time, a person or persons to be a director or directors on the Board of directors of the company; such director(s) is (are) hereinafter referred to as 'nominee director(s)'.

(2) The 'nominee director(s)' shall not be required to hold qualification shares and shall not be liable to retire by rotation.

(2) The 'nominee director(s)' shall be entitled to all the rights and privileges of other director(s) including the sitting fees and expenses as payable to other director(s) but if any other fees, commission, monies or remuneration in any form is payable to the director(s), the fees, commission, monies or remuneration in relation to such nominee director(s) shall accrue to the Board and the same shall accordingly be paid by the company directly to the Board. Any expenditure incurred by the Board or the nominee director(s) in connection with his appointment or directorship be borne by the company.

(4) If, at any time, the nominee director(s) is (are) not able to attend a meeting of the Board of directors or any of its committees of which he is a member, the Board may depute an observer to attend the meeting. The expenses incurred by the observer in this connection shall be borne by the company.

8. **Disinvestment by the Board :**

(1) The company shall get its equity shares listed with the Stock Exchange(s)/Over The Counter Exchange of India (OTCEI).

(2) The Board may, in its discretion, disinvest its shareholdings in the company after three years of completion of the project by the company or after five years from the date of subscription.

(3) The Board shall dispose of its shares at the market value if the shares are listed.

(4) If the shares are not listed, the price, at which the shares may be disposed of by the Board, shall normally be arrived at by taking the minimum yield of 10 per cent per annum or on the basis of the net asset value of the share, as may be considered prudent by the Board.

(5) The first option to buy back the Board's shares shall be given to the promoters of the company.

9. **Contractual formality :**

(1) In every case of equity participation by the Board, the company concerned shall be required to enter into a formal agreement with the Board stipulating the various terms and conditions, including the returns to be submitted under section 15 (1) of the Act.

[File No. TDB/Admn. I(7)(21)/98-99]

DR. PAWAN SIKKA, Jt. Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1998

सा.का.नि. 669(अ).—प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (विवरणियों का प्रस्तुतिकरण) विनियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) अभिप्रेत है।

(ख) "करार" से बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड तथा किसी समुत्थान के बीच सम्यक् रूप से निष्पादित की गई संविदा अभिलेख है।

(ग) बोर्ड से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है।

(घ) "औद्योगिक समुत्थान" का वही अर्थ है, जो भारतीय विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 के खंड (ग) में उसके लिए दिया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है, जिसके कब्जे में प्रौद्योगिकी के आयात वाला विदेशी सहयोग अनुमोदित किया जाता है या समय-समय पर लागू भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार स्वतः अनुमोदित हो जाता है।

(ङ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है।

3. विवरणी का प्रस्तुत किया जाना :

(1) बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला औद्योगिक समुत्थान अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बोर्ड को विवरणी भेजेगा।

(2) औद्योगिक समुत्थान सहायता के प्रथम संवितरण की तारीख से छः मास के लिए बोर्ड को विहित प्ररूप में विवरणी भेजेगा। ऐसी विवरणी बोर्ड को 45 दिन की अवधि के भीतर भेजी जाएगी।

(3) औद्योगिक समुत्थान करार के चालू रहने के दौरान विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

अनुसूची

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले औद्योगिक समुत्थान द्वारा दी जाने वाली विवरणी :

(क) परियोजना के ब्यौरे —

(क) औद्योगिक समुत्थान का नाम तथा पता :

(ख) परियोजना का नाम :

(ख) परियोजना की लागत :

(क) करार में प्रक्षिप्त :

(ख) बोर्ड से सहायता :

(स्वीकृति संदर्भ और रकम)

(ग) अन्य द्वारा वित्त प्रबन्ध :

(विनिर्दिष्ट करें)

(ग) वास्तविक प्राप्तियां

(क) बोर्ड की निधियां (रकम/तारीख) :

पहली किस्त

दूसरी किस्त, आदि

(ख) अन्य स्रोत (रकम/तारीख)

(घ) भौतिक प्रगति

पहली किस्त

(क) कृपया करार के उपबंधों के निबंधनानुसार कार्य की प्रगति उपदर्शित करें :

(जिसके अन्तर्गत मील पत्थर, वर्णन चार्ट आदि है)

(ख) प्रगति (तेज/धीमी) को प्रभावित करने वाले तथ्य :

(ङ) निधियों का उपयोग (लाख रुपए में) :

(करार के अनुसार मदवार)

(क) रिपोर्ट की अवधि के दौरान :

(ख) संचित व्यय :

(च) संविदात्मक बाध्यताएं

(क) बोर्ड को संदाय :

(रकम/तारीख)

(1) ब्याज :

(2) मूलधन :

(3) स्वामित्व :

(ख) अन्य बाध्यताएं :

(करार के सुसंगत खंडों के संदर्भ में उपदर्शित करें)

[फा. सं. टीडीबी/एडम-1(7)(21)/98-99]

डा. पवन सिक्का, संयुक्त सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1998

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 22 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995) read with sub-section (1) of section 15, the Technology Development Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title amd commencement :

(1) These regulations may be called the Technology Development Board (submission of returns) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995);

(b) "agreement" means a contract duly executed between the Board and an industrial conceren for providing financial assistance by the Board;

(c) "Board" means the Technology Development Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) "Industrial concern" has the meaning assigned to it in clause (c) of section 2 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, and includes any other person in whose favour a foregin collaboration involving the import of technology is approved or automatically approved in accordance with the Industrial Policy of the Government of India in force from time to time;

(e) "Secretary" means the Secretary of the Board.

3. Submission of returns :

(1) An industrial concern receiving financial assistance from the Board shall furnish returns to the Board as specified in the Schedule.

(2) The industrial concern shall furnish the returns in the prescribed proforma to the Board for every six months from the date of first disbursement of assistance. Such a returns shall be sent to Board within a period of 45 days.

(3) The industrial concern shall submit the returns during the currency of the agreement.

SCHEDULE

Returns for submission by an Industrial Concern receiving financial assistance from the Technology Development Board

(A) Project details

(a) Name of the industrial concern and address :

(b) Project title :

(B) Project cost

(a) Projected in the agreement :

(b) Assistance from the Board (sanction reference and amount) :

(c) Financing by others (specify) :

(C) Actual receipts

(a) Board's funds (amount/date) :
1st Instalment, :
2nd Instalment, etc.

(b) Other sources (amount/date) :

(D) Physical Progress

(a) Please indicate the progress of work in terms of the provisions of the agreement (including milestones, bar-charts, etc) :

(b) factors impacting (speedy/slower) progress :

(E) Utilisation of funds (Rs. in lakhs) (Itemwise as per the agreement)

(a) During the period of the report :

(b) Cumulative expenditure :

(F) Contractual obligations

(a) Payments to the Board (amount/date)
(i) Interest :
(ii) Principal :
(iii) Royalty :

(b) Other obligations (indicate with reference to the relevant clauses of the agreement) :

[File No. TDB/Admn. I(7)(21)/98-99]

DR. PAWAN SIKKA, Jt. Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.